उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रय–पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: बिजनौर
3.	ग्राम	: यूसुफ नगर उर्फ बनियाखेड़ा
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०)	: भूमि खसरा संख्या– 363
5.	नापन की इकाई	: हेक्टेअर

25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6. विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 0.400 हैक्टेयर
7. सम्पत्ति का प्रकार : कृषि
8. पेड़ों का मूल्यांकन : नहीं
9. बोरिंग / कुआं / अन्य : नहीं
10. प्रतिफल की धनराशि : रू0 9,89,200/-
11. मालियत : रू0 4,40,000/-
12. स्टाम्प : रू0 89,000/-

चौहद्दी

खसरा न0 389

उत्तर : खसरा संख्या 396

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 256513

दक्षिण : खसरा संख्या—345, 346
पूरब : खसरा संख्या—364
पश्चिम : खसरा संख्या—382

प्रथम पक्ष की संख्या—01 द्वितीय पक्ष की संख्या—01

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
श्रीकृष्ण पुत्र श्री भवानीदीन निवासी— ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियानक परगना—बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ व्यवसाय — कृषि		राम बाबू पुत्र राम धनी निवासी— मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट—नवगांव, जिला—फतेहपुर, उ०प्र० व्यवसाय — कृषि

श्रीकृष्ण [illegible]

10000 रु. Rs 10000

भारतीय गैर न्यायिक

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

विक्रय विलेख

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा नं० 383 रकबा 0.400 हेक्टेयर, स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ के मालिक काबिज व काबिज हैं जो विक्रेता की पैतृक सम्पत्ति है जो उसे विरासतन प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या–119 के अनुसार कृषि भूमि विक्रेता के नाम अमल दरामद हो चुका है। उक्त आराजी आज विक्रेता के कब्जे व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 6 22223

दखल मालिकाना में मौजूद है और जो किसी विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की, व जमानत आदि से प्रभावित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अत बजरिए सुद विक्रेता ने उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, बएवज मुबलिग रू0 8,89,200/- (रुपया आठ लाख नवासी हजार दो सौ मात्र)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 222234

जिसके आधे रू0 4,44,600/– (रुपया चार लाख चौवालिस हजार छः सौ मात्र) होते है राम बाबू पुत्र राम धनी निवासी– मिर्जापुर, मिटारी, पोस्ट–नवगांव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 के बय कराई किया, और कुल विक्रय धनराशि बक्त तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का वाकई बखूबी करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होगे, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जाये या कब्जा न मिले या कहीं विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा–खर्चा व नुकसान के सय विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

दखल व कब्जा ले जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवें ।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में ट्यूबवेल, पेड़, कुआं व इमारत आदि नहीं है। आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नहीं है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नहीं है।

आराजी स्थित ग्राम खुटुक नगर उर्फ लोनियामऊ परगना-बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 11,00,000/- रुपया प्रति हैक्टेयर की दर से निर्धारित है इस प्रकार से विक्रीत आराजी रकबा 0.400 हैक्टेयर है जिसकी मालियत रु0 4,40,000/- आती है जो कि विक्रय मूल्य से कम है, अतः नियमानुसार विक्रय मूल्य पर वांछित स्टाम्प शुल्क 88,000/- के अदा किये जा रहे हैं।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है।

विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

विवरण भुगतान

1. विक्रेता को रु0 5,00,000/- (रुपया पाँच लाख मात्र) जरिये चेक संख्या-131630 दिनांकित 14.09.2006 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

2. विक्रेता को रु0 3,89,200/- (रुपया तीन लाख नवासी हजार दो सौ मात्र) जरिये चेक संख्या-131631 दिनांकित 14.09.2006 पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 8,89,200/- (रुपया आठ लाख नवासी हजार दो सौ मात्र) विक्रेता ने क्रेता से वसूल पाया।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

[illegible]

[illegible] 449,893.84 [illegible] 40 [illegible] 2,000

[illegible]

[illegible] 15/3/2006 [illegible]

[illegible]

उ. के. श्रीवास्तव
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
15/3/2006

[illegible]

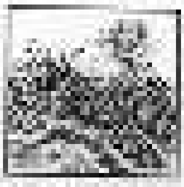

और

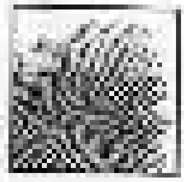

[illegible]

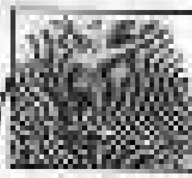

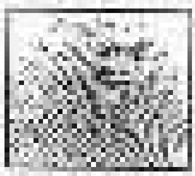

[illegible]

उ. के. श्रीवास्तव
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
15/3/2006

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

दिनांकः— 14.06.2006

लखनऊ

गवाहानः—

1.

2.

विक्रेता

क्रेता

टाईपकर्ताः

(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ताः

(सय्यद अन्वार हुसैन)
एडवोकेट,

Prison

Registration No. [illegible] Year 2006 Book No. 1

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

नक्शा - नजरी

[illegible] :- [illegible]

[illegible] :- 383

[illegible] :- [illegible]

[illegible] :- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Registration No. 7007 Year: 2006 Book No. 1

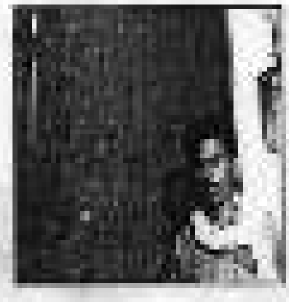

0207 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा - 32 क के अनुपालन हेतु

फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

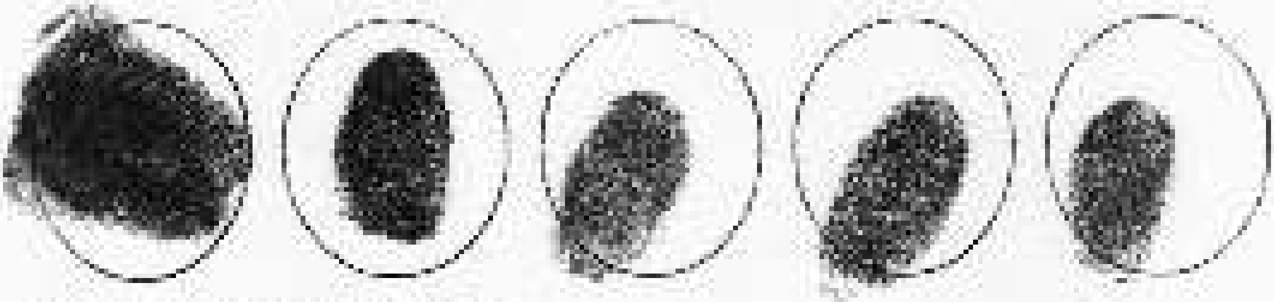

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible signature]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible signature] विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

आज दिनांक 15/09/2006 को

बही सं 1 जिल्द सं 7800

पृष्ठ सं 23 से 48 पर क्रमांक 7807

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ए. के. श्रीवास्तव

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

15/09/2006